RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 3 & 4, Vol. : 5,
July-December (2018), Joint Edition, Pages : 21 - 25
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

गुणवत्ता और अपव्यय के बीच भारत में खाद्य सुरक्षा का संकट

मनोरमा शर्मा
प्रवक्ता (स्ववित्त पोषित), बी0एस0एम0 पी0जी0 कॉलेज, रूड़की

Received : 22/08/2018 *1st BPR* : 10/09/2018 *2nd BPR* : 28/09/2018 *Accepted* : 08/11/2018

ABSTRACT

भारत पर टिप्पणी करते हुये **Jouse De Castro (1952)** द्वारा कहा गया है कि भारत में पैदा होने वाले आधे बच्चे केवल भूख खाते है और आधे स्वयं कुछ उत्पन्न करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते है यह कथन पुराना अवश्य हो चुका है परन्तु आज भी इसकी सच्चाई में कोई परिवर्तन नही हआ है। 'सबके लिए भोजन' लक्षित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 5 जुलाई वर्ष 2013 से आगे बढ़ते–बढ़ते वर्तमान समय में अपने सुरक्षा जैसें मानकों की अनुपलब्धता तथा संक्षरण प्रकिया से वंचित हो अपने लक्ष्य से कहीं भटक गयी हैं। देश के सभी नागरिकों को पेट भर भोजन मिल पाना तो अभी तक सम्भव नही हो पाया है, साथ में जिन लोगों को मिलता है चाहे वह गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हो या फिर गरीबी की रेखा के ऊपर रहने वाले लोग हो उन्हे सुरक्षित एवं गुणवत्ता पूर्ण भोजन प्राप्त होता है या नही अब यह बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी है। पर्याप्त भोजन की अनुपलब्धता हमारे विकास के लक्ष्य को अनेकानेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बाधित कर रही हैं जैसे कुपोषण के कारण हमारा बद्तर, स्वास्थ्य मानसिक एवं शारीरिक विकास की अवरूध्दता, कार्यक्षमता का ह्यस, हीन मानसिकता के कारण गैर कानूनी एवं क्षोभनीय तथ्यों में संलिप्त रहने का विकार एवं अनेक गंभीर बीमारियों को आमंत्रण। समाज अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रुप प्रदान करने का प्रथम पायदान होता है यदि खराब खानपान से नागरिकों के जीवन पर इतना अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो देश का विकास कहां और कैसे दृष्टिगोचर हो रहा है, यह शीघ्र अतिशीघ्र विचारणीय तथ्य हैं।

Key Words : गुणवत्ता, अपव्यय, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कोडेक्स, खाद्य सुरक्षा, भौगोलिक सूचना विज्ञान/प्रणाली (GIS), सेटेलाइट, स्थलाकृति (Topology).

इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है कि भारत देश अपनें नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पादित करने में सक्षम है। बावजूद इसके यहां भूख से पीड़ित लोगों की सख्ँया मे निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसका कारण समय–समय पर आती प्राकृतिक आपदायें तो है ही साथ ही प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनहीनताएं भी है। हॉलाकि वर्षों पहले जैसी अकाल की स्थिति अब देखने को नहीं मिलती है फिर भी आज के समय में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बहुत अधिक मात्रा में बच्चों के साथ साथ व्यस्क भी कुपोषण से ग्रस्त मिलते है। IFPRI के अनुसार भारत मे लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रतिदिन भोजन नही प्राप्त होता है। इस समस्या की जड़ें प्रकृति प्रदत्त् नहीं बल्कि राजनैतिक तथा आर्थिक अव्यवस्था के कारण मजबूत हुई है। जहां सरकार द्वारा बनायी गयी बड़ी–बड़ी योजनाएं बड़ी मात्रा में धन का अपव्यय कर स्वयं समस्या का रूप ले लेती है। जिसके कारण विश्व भर में भारत का नाम बदनाम हो रहा है।

भारत पर टिप्पणी करते हुये Jouse De Castro (1952) द्वारा कहा गया है कि, भारत में पैदा होने वाले आधे बच्चे केवल भूख खाते है और आधे स्वयं कुछ उत्पन्न करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते है यह कथन पुराना अवश्य हो चुका है परन्तु आज भी इसकी सच्चाई में कोई परिवर्तन नही हुआ है।

'सबके लिए भोजन' लक्षित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 5 जुलाई वर्ष 2013 से आगे बढ़ते–बढ़ते वर्तमान समय में अपने सुरक्षा जैसें मानकों की अनुपलब्धता तथा संक्षरण प्रक्रिया से वंचित हो अपने लक्ष्य से कहीं भटक गयी हैं। देश के सभी नागरिकों को पेट भर भोजन मिल पाना तो अभी तक सम्भव नही हो पाया है, साथ में जिन लोगों को मिलता है चाहे वह गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हो या फिर गरीबी की रेखा के ऊपर रहने वाले लोग हो उन्हे सुरक्षित एवं गुणवत्ता पूर्ण भोजन प्राप्त होता है या नही अब यह बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी है। पर्याप्त भोजन की अनुपलब्धता हमारे विकास के लक्ष्य को अनेकानेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बाधित कर रही है जैसे कुपोषण के कारण हमारा बद्तर, स्वास्थ्य मानसिक एवं शारीरिक विकास की अवरूध्दता, कार्यक्षमता का

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 21-25, ISSN 2348 – 3318

मनोरमा शर्मा

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

ह्रास, हीन मानसिकता के कारण गैर कानूनी एवं क्षोभनीय तथ्यों में संलिप्त रहने का विकार एवं अनेक गंभीर बीमारियों को आमंत्रण। समाज अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रुप प्रदान करने का प्रथम पायदान होता है यदि खराब खानपान से नागरिकों के जीवन पर इतना अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो देश का विकास कहां और कैसे दृष्टिगोचर हो रहा है, यह शीघ्र अतिशीघ्र विचारणीय तथ्य है। बढ़ती जनसख्या एवं प्रकृति के प्रति निष्ठुर व्यवहार के कारण आज खाद्य संकट वैश्विक स्तर पर विद्यमान गया है। पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब से ज्यादा लोग गरीबी एवं कुपोषण से जूझ रहे है, परन्तु यदि सभी देश अपने–अपने स्तर पर इस भयावह स्थिति से निपटने का प्रबल प्रयास करेगें तो शायद हालात में कुछ सुधार सम्भव हो सके जैसे वर्तमान में भारत की लगभग एक तिहाई आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर है ऐसे में गरीबी और खाद्य असुरक्षा एक दूसरे के पूरक के रूप में विद्यमान हो जाते है। खाद्य सुरक्षा जो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है उससे सम्बधित योजना का बड़े पैमाने पर एवं कानून के रूप में क्रियान्वित किया जाना बहुत ही सराहनीय कदम है। परन्तु यह कानून अपने आप कार्य नही करता है, प्रत्येक नियम एवं कानून का पालन ईमानदारी से किया जाए तभी कोई कार्यक्रम सफल होता है अन्यथा नही। यही समस्या हमारे इस खाद्य सुरक्षा कानून के समक्ष आयी है, देश के नागरिकों में से चाहे वह मंत्री, अधिकारी, कार्यकर्ता, कर्मचारी या उपभोक्ता हो अधिकतर भ्रष्ट श्रेणी में आते है जिससे सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह स्वत: लग जाता है। इस असफलता के पीछे और भी अनेक कारण विद्यमान होते है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित अन्य समस्याएं जिनमें बाजार पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव होता है या फिर उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृत्रिम रासायनों का प्रयोग हो इन सभी समस्याओं को बनाने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार है जिससे प्रकृति की सम्पूर्ण विरासत पशु–पक्षी, वायुमण्डल, भूमि, जल, जंगल सभी प्रभावित होते है और हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी का एक अंग है। इसलिए खाद्य की सुरक्षा मात्र आवश्यकता नही है बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन बचाने का सम्भव किन्तु कठिन प्रयास है अब यदि हमारा प्रमुख उद्देश्य यही होता कि सबको भोजन प्राप्त होना चाहिए तो तब भी यह सम्भव हो सकता है परन्तु जब से हमनें आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के नियमों को दरकिनार कर औद्योगिकरण, कृत्रिमता और सुविधाओं का सहारा लिया है तभी से हमनें अपने स्वस्थ भविष्य को दॉव पर लगा दिया है जिससे खाद्य संकट केवल तकनीकी या खानपान का संकट नही रह गया है यह तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, सभ्यता एवं पृथ्वी पर जीवन का संकट बन गया है।

विश्व विकास रिर्पोट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा सही समय पर सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि है।

खाद्य गुणवत्ता से आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं अनिवार्य है, खाद्य गुणवत्ता के मानक भोजन में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों के बाहरी गुणों पदार्थों (रंग, आकार, महक इत्यादि) तथा उनके रासायनिक और पोषक गुणों को ध्याान में रखकर निश्चित एवं नियमित करते है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पदार्थों पर कोडेक्स कमीशन नामक संस्था तथा भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वर्ष 2006 के अधिनियम द्वारा नियमित किये जाते हैं। भारतीय सन्दर्भों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में खराब स्तर का बताया जाता है।

Centre of Food Science and Technology (CFST) and Institute of Agriculture (IAS) द्वारा 15 दिन तक विभिन्न प्रकार के सुरक्षा एवं गुणवत्ता सम्बंधी तथ्यों पर अध्ययन किया गया जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि भारत की FSSAI अन्तर्राष्ट्रीय कोडेक्स के सामने बहुत ही निचले स्तर की है और विफल भी है। भारत की FSSAI को विशेश सुरक्षा की दृष्टि से और अधिक कड़े नियमों के पालन करने की आवश्यकता है। जिसके अन्तर्गत ऐसे कई मुद्दे है जिन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है इनमें सस्थानिक समन्वय में कमी, तकनीकी विशेषज्ञता और उपकरणों की कमी, जरुरी मानकों में कमी, उत्तरदायी प्रणाली की अनुपस्थिति, उद्योग के क्षेत्र के बीच संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में खाद्य धारकों के बीच सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियन्त्रण के मुद्दों के बारे में जागरुकता की कमी, खाद्य से जुड़ी बीमारियों की बढ़ती घटनाएं, नवीन रोगजनक रसायानों का प्रयोग, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य का प्रवेश आदि शामिल है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद खाद्य उत्पादों का बढ़ता आयात भी इसके लिए जिम्मेदार है। अनुसंधान, विकास तथा जरूरी सूचना प्रणाली का आधार भी कमजोर है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य और कृषि के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। खाद्य एवं पोषण प्रभाग अपनी खाद्य गुणवत्ता एवं मानक सेवाओं के माध्यम से नीतिगत सलाह की व्यवस्था द्वारा क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। यह खाद्य उद्योग के लिए खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा आश्वासन कार्यक्रम, खाद्य मानकों के विकास और तकनीकी नियमों समेत गुणवत्ता नियन्त्रण और सुरक्षा विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है। यह खाद्य मिलावट के लिए राष्ट्रिय निर्यात खाद्य प्रमाणीकरण कार्यक्रम और निगरानी कार्यक्रम की भी स्थापना करता है।

हमारे देश में खाद्य सुरक्षा के बेहतर मानकों की पुरजोर आवश्यकता है क्योंकि भारत ने खाद्य उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति की है। गन्ना, दूध, मसाले में जहां भारत पहले स्थान पर है तो वहीं चावल, गेहूॅ, दलहन, फल और सब्जियों में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है लेकिन विश्वव्यापी निर्यात में इसका हिस्सा 3 प्रतिशत से भी कम है बेहतर सुरक्षा मानकों के ऐसे अनेक मुद्दे है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सफल खाद्य उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक बनाने के लिए हमारे देश को ऐसा खाद्य उत्पादित करना चाहिए जो दूसरे देशों के उपभोक्ताओं के साथ–साथ हमारे देश के उपभोक्ताओं के

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 21-25, ISSN 2348 – 3318
मनोरमा शर्मा
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वीकार्य हो। हाल ही में प्रकाशित **NFHS-4** के आकड़ें स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए मानकों से पर्दा उठाते है क्योंकि यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्रत्येक तीसरा शिशु कुपोषित है और मातृत्व काल में प्रत्येक महिला रक्तअल्पता की शिकार है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक भारतीय अपनी आय क्षमता से लगभग 10 प्रतिशत कम अर्जित करता है क्योंकि वह अपने शैशवकाल में कुपोषित रह गया था। आधुनिक शोधों ने यह भी सिद्ध किया है कि जीवन के प्रारम्भिक काल का कुपोषण व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक विकास को अवरूद्ध करता है जो जीवन पर्यन्त उसके सीखने की शक्ति, उसकी उत्पादकता और आय क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित करता है इससे स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का अभाव किसी भी व्यक्ति को कुपोषित कर उसके कार्यबल की नींव पर एक श्रेष्ठ और उन्नत भारत की कल्पना करना बेमानी है।

जहॉ भारत विश्व के प्रमुखतम् अन्न उत्पादक देशों में गिना जाता है, वहीं शर्मसार करने वाला विषय यह है कि जो लोग देश के लिए खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे है वही भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। यही देश के लिए विकट समस्या बन चुकी है क्योंकि किसानों के लिए खेती आज घाटे का सौदा बन चुकी है जहां उन्हें ज्यादा मेहनत करने के बावजूद नुकसान झेलना पड़ता है। जिसके कारण वर्तमान समय के बदतर हालात से बचने के लिए देश के 42 से 45 प्रतिशत किसान खेती-बाड़ी छोड़कर अन्य किसी विकल्प की तलाश में रहते है। इसी तथ्य के मद्देनजर पंजाब में 1 लाख किसान खेती छोड़ चुके है, जबकि पंजाब और हरियाणा मिलकर देश के खाद्यान्न भंडार को भरने में अहम भूमिका निभाते थे।

UNDP के अन्तर्गत, वैश्विक भूख सूचकॉक **2011** में ऐसे 81 विकासशील देशों को शामिल किया गया जिनमें भूखा ग्रस्त होने के कम से कम तीन सूचक विद्यमान हों। इस सर्वेक्षण में भारत का स्तर 67 आंका गया। जबकि हमारे अधिकतर पडोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर ऑकी गई। जैसे पाकिस्तान **(20.5)** तथा चीन **(5.5)** आदि। इसी सर्वेक्षण के अनुसार, निम्न स्तरीय खाद्य सुरक्षा में **81** देशों में भारत को 67वॉ स्थान प्राप्त हुआ और भारत की स्थिति को गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त देशों की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2016-17 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 118 देशों में भारत का 97वॉ स्थान था तो वर्ष 2017-18 में और नीचे 119 देशों में 100वॉ (गंभीर) पायदान पर है। जिसमें भारत श्रीलंका (84) और बांग्लादेश (88) (गंभीर) जैसे देशों से भी पीछे हैं, और समूचे एशिया में सिर्फ पाकिस्तान (106) अफगानिस्तान (107) और ही भारत से पीछे हैं, जबकि चीन (29) के हालात भारत से कहीं बेहतर हैं। IFPRI ने अपनी रिर्पोट में कहा कि भारत में बच्चों में कुपोषण की उच्च दर से भूख का स्तर इतना गंभीर है।

वैश्विक भूख सूचकॉक (Global Hunger Index)

वर्ष	देश	भारत का स्तर
2011	81	67
2016-17	118	97
2017-18	119	100

अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार, कोई भी ऐसा समाज सुख और सम्पन्न नही हो सकता है जिसके अधिकॉश सदस्य निर्धन एवं दयनीय हो।

औद्योगिक क्रांति के दो सौ साल हो चुकने के बाद भी यदि दुनिया की बड़ी आबादी आज भी बगैर भोजन के रहने को अभिशप्त है, जिसका कारण कम उत्पादन, गलत तरीके से उत्पादन, खाद्य कुप्रबंधन तो है परंतु साथ ही एक ऐसा कारण भी है जिस पर अन्य कारणों की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया है और धीरे–धीरे यह खाद्य असुरक्षा का प्रमुख एवं बड़ा कारण बनता गया जिसे आज पूरा विश्व 'खाद्य अपव्यय' के नाम से जानता है।

खाद्य अपव्यय का तात्पर्य कच्चे अनाज या पके भोजन की बरबादी से है। खाद्य एवं कृषि संस्थान की रिर्पोट द्वारा खाद्यान्नों के अपव्यय से जुडे अनेक तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। इस संगठन के प्रमुख होजे ग्रैजियानो ने कहा कि, इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य अपव्यय से खाद्य सुरक्षा और विकास को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

'खाद्य अपव्यय पदचिह्न : प्राकृतिक संसाधनो पर प्रभाव**' (Food Wastage Foot Print Impact : On Natural Resources)** शीर्षक वाली यह रिर्पोट बताती है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत कठिन है। इस रिर्पोट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया गया है कि भोजन के अपव्यय से जल, जमीन और जलवायु के उपयोग के साथ–साथ जैव विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पडता है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि उत्पादित भोजन जिसे खाया नही जाता उससे प्रत्येक वर्ष रूस की 'वोल्गा' नदी के बराबर जल की बरबादी होती है। इतना ही नही अपव्यय किये जाने वाले भोजन से भी ज्यादा मात्रा में खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। जो हमारे पर्यावरण के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। दुनिया की लगभग 28 प्रतिशत भूमि जिसका क्षेत्रफल 1.4 अरब हेक्टेयर है, ऐसे खाद्यान्नों को उत्पन्न करने में व्यर्थ होती है जिसको हम बरबाद कर देते है। यह रिर्पोट हमें चेतावनी भी देती है कि अनुचित गतिविधियों के कारण पैदा किये जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा यानि 1.3 अरब टन बरबाद कर दिया जाता है तो दूसरी और 87 करोड़ लोग

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 21-25, ISSN 2348 – 3318

मनोरमा शर्मा

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

प्रतिदिन भूखे रहने को विवश है। ऐसे विडम्बनापूर्ण आकड़ें खाद्य अपव्यय के कारण होने वाले नुकसान और उसकी गंभीरता को स्पष्ट करते है, क्योंकि यह क्षति बहुदैशिक है। हैरत की बात यह भी है कि विश्व में जितना खाद्यान्न बर्बाद होता उसमें 54 प्रतिशत की बर्बादी तो उत्पादन, कटाई, ढुलाई और भंडारण में हो जाती है। विकासशील देशों में अपव्यय की यह प्रक्रिया उत्पादन के समय अधिक होती है जबकि विकसित देशों में यह अपव्यय बाद के चरणों में होता है क्योंकि औद्योगिकृत देशों में उपभोक्ता का व्यवहार इस अपव्वय में बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए – ब्रिटेन में हर साल लोगों द्वारा लगभग 7 मिलियन टन खाद्यान्न बर्बाद होता है जो क्रय की जाने वाली सकल मात्रा का एक तिहाई होता है, और अमेरिका में लगभग 30 प्रतिशत होता है।

खाद्य अपव्यय से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 750 अरब डालर का नुकसान होता है और इस अपव्यय में हमारे भारत देश का विशेष योगदान है। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार, भारत देश में हर साल 50 हजार करोड़ रुपये का भोजन बरबाद होता है। जो देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत होता है। करीब तेरह हजार करोड़ रुपये की फल सब्जियॉ बरबाद हो जाती है और यदि इस अपव्यय में चावल, गेहूँ तथा दूसरे अनाजों का अपव्यय भी इसमें शामिल किया जाये तो यह मात्रा बढ़कर 44 हजार करोड़ रुपये की हो जाती है इस अपव्यय का नकारात्मक प्रभाव हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे यहॉ उगाई जाने वाली फसलों में जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अपव्यय किये जाने वाले इस अनाज को उत्पन्न करने में 230 क्यूबिक जल व्यर्थ हो जाता है जिससे 10 करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। सोचने वाली बात यह है कि अनाज के अपव्यय का कारण भारत की परिवहन अवसंरचना, भंडारण सुविधा, पर्याप्त जानकारी तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव है जिसके कारण एक ही प्रकार की फल–सब्जी किसी स्थान पर बहुत महंगी बिकती है तथा दूसरे स्थान पर सड़ जाती है। प्रत्येक वर्ष गेहूँ–चावल की हजारों टन बोरियॉ भंडारण की सुविधा ना होने के कारण खुले स्थान में रखी सड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार कहीं टमाटर, प्याज सही कीमत तो क्या पूरी लागत भी ना मिल पानें के कारण सड़ जाते है, दूध जैसा अमूल्य पेय सड़कों पर बहा दिया जाता है और उत्पादकों को लाभ के बजाय हानि का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में किसानों के बद्तर हालात का कारण बौद्धिक एवं आर्थिक क्षमताओं का अनुचित प्रयोग भी है, क्योंकि भारतीय परम्पराओं के अन्तर्गत विवाह, जन्मदिन, उत्सव, समारोह आदि के प्रायोजन की होड़ में धन तथा भोजन का अत्यधिक अपव्यय होता है।

बंगलुरू की युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की एक टीम द्वारा किये गये एक शोध के अनुसार, बंगलुरू शहर में विवाह के दौरान 1 वर्ष में लगभग 950 टन खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाता है, साथ ही विवाह में बनने वाला भोजन बहुत अधिक कैलोरी युक्त होता है जो कुपोषण के साथ–साथ अन्य कई रोगों को आमंत्रण देता है। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा यह तथ्य उजागर किया गया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के देश भर के गोदामों में वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2012 तक कुल 36 हजार टन अनाज सड़ चुका था जिससे देश के लगभग 8 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता था। प0 बंगाल में 4545 टन और गुजरात में 4290 टन अनाज भंडारण की खराब पद्धति के कारण बर्बाद हुआ, लगभग यही हाल देश के प्रत्येक राज्य का है। परिवहन, मानवीय चूक, अवैज्ञानिक भंडारण एवं प्राकृतिक कारणो जैसे बारिश, बाढ़ आदि के कारण कितना अनाज बर्बाद हुआ इसके ऑकड़े तो कहीं उपलब्ध ही नही हैं। तत्कालीन केन्द्रिय और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के0 वी0 थॉमस ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये बेचे जाने लायक 66 लाख टन अनाज खुले स्थान में पड़ा है।

भोजन के अधिकार अभियान के मानस रंजन के अनुसार, भंडारण सुविधा का काफी अभाव है और सरकार जानबूझकर अधिक गोदाम नही बनाती क्योंकि सरकार चाहती है कि सिर्फ निजी गोदाम बनें सरकारी नही। सिर्फ उचित भंडारण सुविधा न मिल पाने के कारण आस्ट्रेलिया वर्ष भर की कुल पैदावार जितना अनाज तो हमारे यहॉ सड़ जाता है जिससे लगभग 30 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। यही भारत जैसे विकासशील देश की भोजन अपव्यय की समस्या के कारण है जैसे यहॉ परम्परागत तरीके से उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला के आरम्भिक चरणों में चूहे, कीट–पतंगो से फसलों को नुकसान होता है तो कटाई के बाद भंडारण प्रबंधन, परिवहन और बेहतर बाजार की समस्या तथा जागरुकता का अभाव आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास होना चाहिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य को पोषक तत्वों से भरपूर भरपेट भोजन मिलना चाहिए।

भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होते हुए भी परम्परागत तरीके से उत्पादन करने के कारण उपज बढ़ाने के ईष्टतम् प्रयोगों को प्रत्येक किसान अपना ले तो किसानों के हालात काफी हद तक बेहतर हो जायेगें। खतरनाक रसायनों पर कड़ा प्रतिबंध तथा जैविक कृषि को प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ावा देना चाहिए। जैविक उर्वरकों के संवर्धन हेतु उचित उपाय होने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों के लिए कृषि क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध एवं बचाव के लिए पर्याप्त कानून होने चाहिए। सरकार को कुछ कृषि नियमों में बदलाव लाना होगा जैसे किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने के साथ उनकी फसलों का बीमा अनिवार्य कर देना चाहिए। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना चाहिए जिससे फसलों के लिए वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित भंडारण एवं नए अनुसंधान गृह की स्थापना हो सके।

पोषण एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कच्चे भोज्य पदार्थो की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विकास का पुरजोर प्रयास होना चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण के दिशा निर्देशों को सख्त बनाकर

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 21-25, ISSN 2348 – 3318

कड़ाई से उनका पालन कराना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी खाद्य गुणवत्ता के मानक उच्च स्तरीय होने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अभियान को आत्मसात किया जाना चाहिए। विवाह, जन्मदिन, उत्सव, समारोह आदि में भोजन की बर्बादी पर कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृषक परिवार से जुडे नौजवानों को आवश्यक रूप से शिक्षित करने के साथ व कृषि सम्बंधी नवीन तकनीकी जानकारी जैसे – मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना विज्ञान/प्रणाली (GIS), सेटेलाइट, स्थलाकृति (Topology) आदि की मुफ्त शिक्षा प्रदान करानी चाहिए जिससे नई पीढ़ी बेरोजगाार रहने के बजाए स्वयं ही कृषि क्षेत्र की ओर आकर्शित होने लगेगी जिससे एक साथ कई समस्याओं का सामाधान हो जायेगा जैसे रोजगार का विस्तार, कृषि क्षेत्र का विस्तार, मानव संसाधन का सदुपयोग, रसायनों से खाद्य सुरक्षा, जैविक खाद्य पदार्थो की उपलब्धता, बेहतर स्वास्थ्य इत्यादि।

हमें यह याद रखना होगा की भोजन का अपव्यय न केवल मानवीय त्रासदी है बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी है। प्रकृति की सम्पूर्ण विरासत मानव, पशु, पक्षी, वायुमण्डल, भूमि, जल, जंगल, सभ्यता के प्रति अपराध है।

खाद्य एवं कृषि संस्थान के अनुसार – खाद्य सुरक्षा सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों उपलब्धि के आश्वासन के रूप में है।

References:-

- Yozna Magazine, Right to Food, Dec. 2013
- Food and Action: Security in India http://www.thehindu.com/opinion/for-action-on-food-security-in-india/artical19452387.ece
- Himanshu and Abhijeet Sen, In kind food transforms; Impact on Food Poverty Reduction and Nutrition; A Discussion paper
- Swaminathan Madhura, 2013 - Implementing the Food Security act and Food Policy and Public Action 2012
- A Report on Food Wastage foot print Impact : On Natural Resources - Summary Report - FAO
- National Family Health Survey-4 Report